— 1 —

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/28/2025 रजू दिनांकः 21.03.2025 रजि0 न0 2025/41

अपीलार्थीः—

श्री प्रहलाद पुत्र श्री कन्हैयालाल गुप्ता, निवासी प्लॉट सं. 12/45 व 95, रिद्वि—सिद्वि भवन, दीवानजी का चौक, मुंशी बाजार, वार्ड नं. 12, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 28.04.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा—6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 08.03.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संवंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 07.04.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/770 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से RTI Online Portal पर प्रस्तुत सूचना आवेदन कमांक 293816752084115 दिनांक 08.03.2025 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा किए गये विनिश्चय पत्र सं0 3835085849 दिनांक 17.03.2025 के विरूद्व आक्षेप व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा संदर्भित प्रकरण में सूचना आवेदन में वांछित सूचना, काल्पनिक, विशिष्टीविहीन, प्रश्नात्मक, सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक, संकलनीय, खोजबीन कर उपलब्ध कराने स्वरूप होने, साथ ही कोई वृहत्तर जनहित से जुडी हुई नहीं होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ), 6(1)वी, 7(9), धारा 8(1)(जे) के तहत व भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 10.07.2008 राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 व परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के आलोक में देय नहीं है, तद्नुसार उक्तानुसार सूचना आवेदन खारिज कर निस्तारित कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में RTI Online Portal No. 3835085849 दिनांक 17.03.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारां प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/771 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)